-53/2004-05 ।। श्रीमद् रामचरणाय नमः ।।

(11)

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

''संगम'' सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, पानी की टंकी के पास, एनआरआई सर्किल, प्रतापनगर, जयपुर

अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक	संरक्षक	महासचिव
नन्दकिशोर विजयवर्गीय	लल्लू लाल विजयवर्गीय	राधेश्याम विजयवर्गीय	लोकेश कुमार गुप्ता
(बसवा निवासी) 9414049196	(फूटेला निवासी) 9610780551	(निमंडा निवासी) 8740834900	(अलवर निवासी) 9928944563
पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार	**पूर्व अध्यक्ष एवं सलाहकार**	**संयोजक, संगम विकास समिति**	**कोषाध्यक्ष**
राजेन्द्र प्रसाद विजयवर्गीय	विशम्भरदयाल विजयवर्गीय	शिव कुमार विजयवर्गीय	हरिराम विजयवर्गीय
9829619664	9351466205	9829472662	9414729893

सलाहकार मण्डल
श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय (रि. आईएएस, पूर्व मुख्य सचिव)
श्री एस.के. विजय (रिटायर्ड आईएएस)
श्री राधेश्याम गुप्ता (रिटायर्ड जज)
श्री जे.पी. गुप्ता (रिटायर्ड आईआरएस)
श्री राजेन्द्र विजय (आईएएस)
श्री सुभाष विजय (से.नि. संयुक्त निदेशक)
डॉ. बांदमल विजय (से.नि. न्यायाधीश)
श्री राजीव विजय (जिला परिवहन अधिकारी)
श्री उमानन्द विजय (सहायक निदेशक पर्यटन)
श्री रामस्वरूप विजय (एटलस से.नि. दूरसंचार)
श्री मोहनलाल विजय (से.नि. दूरसंचार)
श्री मुकेश विजय (अधीक्षण अभियन्ता)
श्री अनिल विजय (अधीक्षण अभियन्ता)
श्री नन्दकिशोर विजय (से.नि. बैंक अधिकारी)
श्री के.एन. विजय (से.नि. सरि. निजी सहायक)
श्री अखिलेश विजय (से.नि. अधिशाषी)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्रीमती आशा विजय-विद्याधर नगर
सत्यनारायण विजय-मेठों की बगीची
उपाध्यक्ष
दिनेश विजय-मालवीय नगर
ओम प्रकाश विजय-विद्याधर नगर
रमाकान्त विजय-टोंक रोड
अशोक कुमार विजय-मालवीय नगर
मनोज कुमार विजय-बरकत नगर
यदुनन्दन विजय-मानसरोवर
संयुक्त महासचिव
नरेन्द्र कुमार गुप्ता-करतारपुरा
सह कोषाध्यक्ष
आनन्द विजयवर्गीय-महारानी फार्म
विधि मंत्री
अजय कुमार विजय-गलता गेट
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री
महेन्द्र कुमार विजय-विवेक विहार
सह कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री
राजेन्द्र कुमार विजय-मालवीय नगर
कार्यालय मंत्री
अशोक कुमार विजय- प्रताप नगर
सांस्कृतिक मंत्री
श्रीमती सुमन विजय-प्रताप नगर
सह-सांस्कृतिक मंत्री
गिरधर विजय-मानसरोवर
महिला कल्याण मंत्री
श्रीमती कुसुम विजय-मानसरोवर
सह-महिला कल्याण मंत्री
श्रीमती मंजू विजय-अग्रवाल फार्म
संगठन मंत्री
राकेश विजय-मानसरोवर
राम अवतार विजय-वैशाली नगर
रमेश चन्द विजय-शास्त्री नगर
रमेश चन्द विजय- डी.सी.एम.
ओम प्रकाश विजय-बरकत नगर
आशुतोष विजय-झोटवाड़ा
गिरधारीलाल विजय-न्यू सांगानेर रोड

दि 10-07-2023

श्रीमान मुख्य सम्पदा प्रबन्धक,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर राजस्थान।

EM
10.7.23

विषय:- विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर को मण्डल की प्रतापनगर सांगानेर,जयपुर आवासीय योजना, जयपुर में शिक्षण संस्था हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या मुराप्र/20223/245 दिनांक 7-7-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के अनुसार चाही गई सूचना/जानकारी संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अवगति एवं नियमानुसार रेल सीमा पर अवगत हेतु।

कृपया हमारी संस्था को शिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि आवंटन कराने की प्रक्रिया को शीघ्र क्रियान्वित कराने का कष्ट करें।

CEM/539
10/7/23

भवदीय,

नन्दकिशोर विजयवर्गीय
अध्यक्ष
विजयवर्गीय वैश्य राजसेवक परिषद
जयपुर

संलग्नक - 28

बैंक नं. 143049 दि. 07.07.23
Rs. 5900/-

प्रपत्र –अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क0सं0	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1	संस्था/संगठन का नाम	विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	नन्दकिशोर विजय
3	डाक पता, टेलीफोन नं0, मोबाईल नं0 एवं मेल आई.डी.	"संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, एन आर आई सर्किल, प्रतापनगर, जयपुर 9414049196 vijaynandkishor@gmail.com
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	शिक्षण संस्था हेतु प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के लिए
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) (मण्डल योजना का नाम)	2000 वर्गमीटर प्रतापनगर, जयपुर विशेषः– पूर्व में संस्था को रियायती दर पर आवासन मण्डल की प्रतापनगर सेक्टर–26 जोन 266 में आवंटित 2904 वर्गमीटर की समीपस्त भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गमीटर है, को आवंटित करने बाबत।
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	2000 वर्गमीटर
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्था, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल, व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न हैं ।
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	संस्था के सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन हेतु प्रतापनगर सेक्टर 26 जयपुर में 2904 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर आवंटित की हुई है।
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है
	ii- बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न है।
	iii- गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स सीट	संलग्न है।
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है।
	vi- रू0 5900/– (पॉच हजार नो सौ रूपये)का बैंक का डीडी/पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो)	संलग्न है। डीडी सं0 143049 दिनांक 07-07-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनायें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है । संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप –विधियां आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा । शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाली शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम व पद : नन्दकिशोर विजय, अध्यक्ष, विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर

अध्यक्ष
विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद
जयपुर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(13)

परिशिष्ठ–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनायें

आवेदक का नाम	विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है	प्रतापनगर सेक्टर–26 जयपुर विशेषः– पूर्व में संस्था को रियायती दर पर आवासन मण्डल की प्रतापनगर सेक्टर–26 जोन 266 में आवंटित 2904 वर्गमीटर की समीपस्त भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गमीटर है, को आवंटित करने बाबत।
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	उपरोक्तानुसार
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कमांक 53/2004–05 में रजिस्टर्ड
संस्थान का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न है।
संबंधित आवेदन संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यो का विवरण व आवास व्यवस्था	समाज की विधवा महिलाओं को प्रत्येक माह विधवा पेंशन/मेघावी छात्रों को शिक्षा हेतु सहायता
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न है। संस्था के सदस्यों एवं समाज के भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनायें

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गो को व क्या लाभ मिलेगा	समाज के सभी वर्गो को विशेष तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चों को रियायती दर अथवा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना होगा।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	क्लारा रूम, प्ले ग्राउण्ड व अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिये
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास के लिये सेक्टर 26 में 2904 वर्गमीटर भूमि का आवंटन दिनांक 12–9–2013
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवटन का निर्णय लिया गया	आरक्षित दर के 5 प्रतिशत की दर पर
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई ।	24–9–2013 रूपये 45406/– 10–10–2013 रूपये 1475232/– विवरण संलग्न है।
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	विभागीय स्तर पर
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	विभागीय स्तर पर
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/ स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	सूची संलग्न है।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जारहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्यसरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	शिक्षण संस्था हेतु
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यो के संबंध में विवरण	संस्था समाज के सभी वर्गो के लिये बिना लाभ हानि के कार्य करती है। अतः रियायती दर पर पूर्व की भांति आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर
यदि आवेदक संस्थान प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं
आवंटनकरने वाले निकाय का अभिमत	विभागीय स्तर पर
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	–

अध्यक्ष
विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद
जयपुर

(14)

(16)

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 53 जयपुर/2004-05

यह प्रमाणित किया जाता है कि विजय वर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद (संस्था) जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 22 माह अप्रैल सन दो हजार चार को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 ✆ 237[illegible]751352
2751417

अध्यक्ष
विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद
जयपुर